

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर १, 2015/भाद्र 18, 1937 सं. 235] No. 235]

## NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2015/BHADRA 18, 1937

## वित्त मंत्रालय

#### (व्यय विभाग)

#### संकल्प

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2015

सं.1/1/2013-ई. III(क).—भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 28.02.2014 के संकल्प सं. 1/1/2013-ई. III(क) का पैरा 5 निम्न प्रकार से संशोधित किया जाएगा:—

"आयोग अपनी सिफारिशें 31 दिसम्बर, 2015 तक प्रस्तुत करेगा। आयोग, यदि आवश्यक हो, सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिए जाने पर किसी भी मामले में रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है।"

रतन पी. वातल, वित्त सचिव

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Expenditure)

# RESOLUTION

New Delhi, the 8<sup>th</sup> September, 2015

No. 1/1/2013-E. III(A).—The Government of India have decided that the Para 5 of this Ministry's Resolution No. 1/1/2013-E.III(A) dated 28.2.2014 shall be modified as under:—

"The Commission will make its recommendations by 31st December, 2015. It may consider, if necessary, sending reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized."

RATAN P. WATAL, Finance Secy.

3836 GI/2015